आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
12/05/2022	**प्रमण्डलीय आयुक्त का न्यायालय, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची** **सेटलमेंट अपील 47/2017** **बिरसा उरांव एवं अन्य बनाम् सुकरा उरांव व अन्य** प्रश्नगत् अपील धारा–89(2) के अन्तर्गत प्रभारी पदाधिकारी, राँची द्वारा पुनरीक्षण वाद संख्या–01/2009 (लापुंग) में पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। निम्न न्यायालय द्वारा आवेदकों का नाम विलोपित करते हुये प्रतिवादियों के नाम से खाता इन्द्राज करने का आदेश पारित किया गया है। आवेदकों का कथन है कि निम्न न्यायालयों द्वारा पारित आदेश तथ्यो पर आधारित नहीं है एवं खतियानी रैयत की मृत्यु नावल्द नहीं हुई थी, जैसा कि निम्न न्यायालयों द्वारा निष्कर्ष निकाला गया है। स्थानीय मुखिया द्वारा इस संबंध में दिया गया प्रमाण–पत्र स्पष्ट है। विपक्षी द्वारा चन्दू उराईन के नावल्द मृत्यु का दावा करते हुये अपने–आप को निकटतम वारिस घोषित किया गया तथा उनके नाम से खतियानी इन्द्राज का आदेश पारित किया गया है। निम्न न्यायालय द्वारा अंचलाधिकारी, लापुंग से चन्दु उराईन की वंशावली प्राप्त की गयी थी, किन्तु उक्त वंशावली को नजरअंदाज करते हुये एक ग्राम पंचायत सदस्य द्वारा दिये गये वंशावली को मान्यता देकर विपक्षी के नाम से संशोधन का आदेश पारित किया गया है, जबकि बण्डा पर्चा में अपीलार्थियों के नाम दर्ज हुये थे। विपक्षी के तरफ से कहा गया कि प्रश्नगत् आवेदन कालबाधित है, क्योंकि आदेश पारित होने 04 माह के पश्चात् यह दायर किया गया है। हाल सर्वे में उक्त खाता रैयत नावल्द घोषित किया गया था तथा विपक्षी ही खतियानी रैयत के नजदीकी भैयाद है। निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश पूर्णतः उचित है। अतः इस अपील आवेदन को खारिज किया जाये। उभयपक्षों की सुनवाई एवं अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता	

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।

है कि मौजा–कोयनारा, थाना–08, खाता नम्बर–40/01, कुल रकबा–12.94 एकड़ भूमि रैयत, झिंगा उरांव, पिता–ठकरी उरांव के नाम से पंजी–02 में जमाबंदी कायम है, जबकि निम्न न्यायालय में तथा इस न्यायालय में खाता रैयत चन्दु उराईन के नावल्द मृत्यु होने का दावा विपक्षी के तरफ से किया गया था। उक्त झिंगा उरांव के 03 पुत्र सन्नी उरांव, महतो उरांव एवं फगुवा उरांव थे। प्रश्नगत् वाद में आवेदक क्रमांक–01 बिरसा उरांव, फगुवा उरांव के पुत्र है तथा आवेदक क्रमांक–02, 03 एवं 04 महतो उरांव के पुत्र है एवं आवेदक क्रमांक–05, 06 एवं 07 सन्नीं उरांव के पुत्र है। प्रश्नगत् वंशावली मुखिया द्वारा भी प्रमाणित है। विपक्षी छोटना उरांव एवं बिज्जा सिंह के पुत्र है, उन्हें इनका खतियानी रैयत के साथ क्या रिश्ता था, यह स्पष्ट नहीं है। निम्न न्यायालय द्वारा विपक्षियों को खेवट नम्बर–09/01, 09/02 एवं 09/03 के आधार पर खतियानी रैयत का नजदीकी भैयाद घोषित किया गया है। किन्तु जब खतियानी रैयत का वारिस जीवित है तो ऐसी स्थिति में किसी नजदीकी भैयाद द्वारा भूमि पर दावा करने का कोई आधार नहीं है। स्पष्टतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश उचित नहीं है, क्योंकि इनके द्वारा खतियानी रैयत के वंशजों को निर्धारित करने का कार्य किया गया है, जो सर्वे न्यायालय का निर्धारित कार्य नहीं है। प्रश्नगत् मामले में पक्षकारों के दखल के आधार पर बण्डा पर्चा तैयार किया गया था, ऐसी स्थिति में मात्र विपक्षियों के दावे के आधार पर उसमें संशोधन किया जाना कदापि उचित नहीं है। वर्णित परिस्थिति में इस अपील आवेदन को मान्य करते हुये निम्न न्यायालय के आदेश को रद्द किया जाता है। बण्डा पर्चा में किये गये इन्द्राज यथावत् रहेंगे। विपक्षी अपने स्वत्व के निर्धारण हेतु सक्षम व्यवहार न्यायालय में वाद दायर कर सकते है।

Digitally signed by MUTHUKUMAR ALAGUMUTHU
Date: 2022.11.24 11:11:55 +05:30
Location: 10.93.72.187

लेखापित एवं संशोधित

प्रमण्डलीय आयुक्त

प्रमण्डलीय आयुक्त